न्यायालय, समाहर्त्ता, खगड़िया।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक–ता0.....से.....

जिला–खगड़िया.....,सा0.....,सन्.....

केस का प्रकारः–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट कर के संबंध में।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख–सहित 3.
05.05.2017	पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1444/सी0आर0 दिनांक 22.04.2017 द्वारा मोरकाही थाना काण्ड संख्या–72/2016 दिनांक 14.07.216 धारा–47(ए0) बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जप्त किये गये 10 लीटर देशी महुआ शराब एवं 400 एम0एल0 का प्लास्टिक बोतल 17 पीस को सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकुल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जाँच उत्पाद अधीक्षक खगड़िया स करायी गयी है। इस काण्ड का अनुसंधान समाप्ति के पश्चात प्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्व आरोप पत्र संख्या–72/16 दिनांक 08.08. 2016 को समर्पित किया जा चुका है। अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि मोरकाही थाना कांड में जप्त देशी को अपने देख रेख में विनष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेगें। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/उत्पाद अधीक्षक ,खगड़िया/थानाध्यक्ष, मोरकाही को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, खगड़िया न्यायालय समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी खगड़िया (बिहार) समाहर्त्ता, खगड़िया।	